



# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027  
Website-sudaup.org

पत्रांक : 8351 /28/76/एक/2018-19  
सेवा में,

दिनांक 20 दिसम्बर 2018

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-सोनभद्र।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण  
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एचडीएफसी	50100079809451	IFSC Code HDFC0001892	236.322

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० ओबरा	वार्ड सं० 14 में अन्ना मुल्ला खान के घर से जीतू के घर तक कवर नाली का निर्माण कार्य।	8.732
2	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० ओबरा	वार्ड नं० 18 बजरंग मेडिकल चौराहे से बस स्टॉप तक कवर नाली का निर्माण कार्य।	10.160
3	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० ओबरा	वार्ड न० 14 जीतू के घर से अर्जुन के घर तक कवर नाली का निर्माण कार्य।	7.852
4	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० ओबरा	वार्ड नं० 14 नगर पंचायत कार्यालय से ई० सुशील के घर तक कवर नाली का निर्माण कार्य।	9.168
5	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० ओबरा	वार्ड नं० 14 राजाराम के घर से सी०ओ० आवास तक नाली का निर्माण कार्य।	9.604
6	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० ओबरा	वार्ड नं० 14 संतोष मिश्रा के घर सुशील के घर तक नाली निर्माण कार्य।	10.921
7	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० ओबरा	वार्ड नं० 18 में सेक्टर 8 बस स्टॉप से डिग्री कालेज चौराहे तक नाली निर्माण कार्य।	9.168
8	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० ओबरा	वार्ड नं० 17,18 सोनी मास्टर के सामने से रामकृत के घर तक कवर नाली का निर्माण कार्य।	6.544

*(Handwritten signature)*



236/2

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027  
Website-sudaup.org

9	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० चोपन	वार्ड नं० 05 में मल्लाही टोला प्रथम बजरंग घाट से बघेल के मकान के पीछे तक सुरक्षा दीवाल का निर्माण व इण्टरलॉकिंग का कार्य	9.320
10	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० चोपन	वार्ड नं० 11 में हाइडिल कॉलोनी नागेश्वरी आश्रम से छठ घाट तक सुरक्षा दीवाल का निर्माण व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	6.130
11	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० चोपन	वार्ड नं० में अग्रवाल मार्केट जमुना होटल के पीछे नगर पंचायत कार्यालय तक नाला निर्माण कार्य।	16.050
12	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० चोपन	वार्ड नं० 02 में हिल कॉलोनी में रेल कर्मचारी इण्टरमीडिएट कॉलेज की बाउण्ड्री से ब्लाक की बाउण्ड्री तक नाला का निर्माण कार्य।	16.130
13	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० चोपन	वार्ड नं० 09 में मल्लाही टोला द्वितीय नागेन्द्र पाठक के घर के बगल से रिलायन्स पेट्रोल पम्प तक नाली का निर्माण कार्य।	13.697
14	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० दुद्धी	वार्ड नं० 01 में लक्ष्मी गुप्ता से मॉ गायत्री पूर्व मा० वि० होते हुए अन्तिम सड़क तक नाली निर्माण कार्य।	8.839
15	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० दुद्धी	वार्ड नं० 01 में संतोष एडवोकेट के घर से उमेश एडवोकेट के घर तक नाली निर्माण कार्य।	3.830
16	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० दुद्धी	वार्ड नं० 02 जितेन्द्र अग्रहरी के घर से नाला तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	2.838
17	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० राबर्टसगंज	कृपा पाठक के मकान से पश्चिम रामबिलास सिंह के मकान से रोड तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	5.196
18	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० राबर्टसगंज	ब्रह्मनगर राबर्टसगंज वार्ड नं० 17 में बबुन्दर पटेल के घर से जगदीष विष्वकर्मा के घर तक कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	2.509
19	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० राबर्टसगंज	घुआस मोहल्ला मुख्य सड़क मार्ग में षाहीद के घर से सी०सी० रोड व नाली निर्माण का कार्य।	11.455
20	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० राबर्टसगंज	बादामी के मकान से हेमनाथ देव पाण्डेय के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	6.046
21	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० राबर्टसगंज	लालता पटेल के मकान से भगवती देवी के मकान तक कवर्ड नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	4.515
22	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० राबर्टसगंज	वार्ड नं०-04 हाइडिल कालोनी में लहरी बाबा मन्दिर के बगल से विनोद कश्यप के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	3.830
23	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० राबर्टसगंज	सुनिल अग्रवाल के मकान से छोटे लाल द्विवेदी के मकान होते हुये रोसन चौधरी के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	6.673
24	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० राबर्टसगंज	कर्मराज सिंह के मकान से साई मैरिज हाल तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	5.783

W

21



1336/3

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-suda.org

25	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० राबर्टसगंज	बाई पास रोड साहिल पैलेष से खान साहब के घर तक वाया ठाकुर प्रसाद गुप्ता के घर तक सी०सी० रोड व कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	10.570
26	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० राबर्टसगंज	संकर के घर से सचिदानन्द पाण्डेय के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	3.345
27	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० पिपरी	वार्ड नं० 08 मुरलीगढ़ (गुलजारी के घर) से केन्द्रीय स्टोर तक नाला निर्माण कार्य।	5.930
28	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० पिपरी	आवास सं० ई-17 के पीछे से ई-20 होते हुए नाला निर्माण।	2.464
29	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० पिपरी	लेबर कॉलोनी पुलिया (बृजेश के घरी के पास) से जी०आई०सी० पुलिया तक नाला निर्माण कार्य।	10.872
30	सोनभद्र	मु०अ०-37	न०प० पिपरी	वार्ड नं० 03 में झगड़ू के घर के पास नाला से मस्जिद के सामने तक नाली का निर्माण कार्य।	8.151
	योग				236.322

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

*(Handwritten signature)*



5286/4

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक